कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,छत्तीसगढ़, रायपुर
द्वितीय तल, वाणिज्यिक कर विभाग, जीएसटी भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर,
जिला–रायपुर (छग) फोनः 0771–2512180, ई मेलः–igreg.cg@nic.in

क्रमांक–718 /मनिपं/2020 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक : 03/05/2020

प्रति,

वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं
जिला पंजीयक समस्त
जिला –
छत्तीसगढ़

विषय :– **नोवेल कोरोना वायरस (COVID19) से संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय में आवश्यक व्यवस्था करने बाबत् ।**

संदर्भ :– छग शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग का पत्र क्रमांक एफ 03–23/2020/वाक(पं)/पांच, दिनांक 03.05.2020

–::00::–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार दिनांक 04/05/2020 से सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए, राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन कार्य कराये जाने हेतु निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

1 सभी अधिकारी/कर्मचारी फेस मास्क लगाकर ही कार्यालय में कार्य संपादित करें। उपस्थित होने वाले पक्षकारों एवं कर्मचारियों के हांथों को सेनेटाइजर से साथ सेनेटाईज करने की व्यवस्था किया जाए।

2 उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को मोबाईल में आरोग्य सेतु एप को इंस्टाल कर चालू रखना होगा, ताकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जानकारी हो सके।

3 ऑनलाईन अपाईन्मेंट स्लाट बुक करने के उपरान्त ही पक्षकार पंजीयन कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे। इस प्रक्रिया में प्राप्त ऑनलाईन अपाईन्मेंट स्लिप दिखाने पर ही पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी।

4 इच्छुक पक्षकार विभाग के वेब पोर्टल https://epanjeeyan.cg.gov.in/IGRPortalWeb में जाकर अपाईन्टमेंट बुक करा सकेंगे। अपाईन्टमेंट की बुकिंग हेतु विभाग द्वारा एक मोबाईल एप भी तैयार किया गया है जो कि एन्ड्रायड मोबाईल उपयोगकर्ता के लिये गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध होगा।

5 बिना मास्क के किसी भी पक्षकार अथवा गवाहों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश न दिया जाए, पक्षकारों को सोशल डिस्टेंसिग का पालन किया जाना अनिवार्य है।

6 सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने हेतु अधिक भीड वाले पंजीयन कार्यालय विशेषकर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ एवं जांजगीर के पंजीयन कार्यालय में बेरिकेटिंग कराया जाए तथा जिला कलेक्टर के माध्यम से पुलिस/होमगार्ड की भी व्यवस्था किया जाए।

7 नगर निगम के माध्यम से प्रतिदिन कार्यालय को सेनेटाइज कराये जाने एवं साफ–सफाई की आवश्यक व्ययस्था किया जाए।

8 पक्षकारों एवं गवाहों के अलावा अन्य व्यक्तियों को प्रवेश न दिया जाए, पंजीयन प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए क्रम से प्रवेश की अनुमति दी जाए।

9 वर्ष 2019–20 की गाईड लाईन दरों को 30–जून,2020 तक यथावत रखा गया है, जिससे कि पंजीयन कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ की स्थिति निर्मित न हो।

10 मुख्यालय में दीगर तहसील की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध होगा, संबंधित पंजीयन कार्यालय में ही पंजीयन कराया जा सकेगा।

11 पंजीयन कार्यालयों में यथासंभव सीमित अधिकारी/कर्मचारियों को क्रम से कार्य में नियोजित किया जावे।

........2

Scanned with CamScanner

12 पंजीयन कार्यालयों में कार्य करने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सर्विस प्रोवाईडर मेसर्स आईटीसाल्यूसन के कम्प्यूटर आपरेटरों एवं डिवीजनल इंचार्ज के आने–जाने के लिए पास की व्यवस्था की जावे।

13 ई–स्टाम्प की व्यवस्था के लिए सभी जिलो में स्टॉक होल्डिग कार्पोरेशन के ई–स्टाम्प सेंटर खुले रहेगे, उनके स्टाफ एवं ई–स्टाम्प प्रदाय करने वाले ए0सी0सी0 (अधिकृत संग्रहण केन्द्र) के व्यक्तियों के लिए भी पास की व्यवस्था किया जाए।

14 राज्य के समस्त पंजीयन कार्यालयों में पक्षकारों की संख्या को सीमित करने के लिए तीन वर्गों में विभाजित किया गया है (सूची संलग्न)। वर्ग "अ" वे पंजीयन कार्यालय हैं जहां पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों की संख्या अधिक है और ऐसे पंजीयन कार्यालय सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस में खुले रहेंगे। वर्ग 'ब' से संबंधित पंजीयन कार्यालय सप्ताह में केवल दो दिन अर्थात बुधवार एवं शुक्रवार को खुले रहेंगे। वर्ग 'स' से संबंधित पंजीयन कार्यालय जहां अपेक्षाकृत कम दस्तावेजों का पंजीयन होता है इन्हें सप्ताह में केवल एक दिन अर्थात बुधवार को खोला जायेगा। उप पंजीयक कार्यालयों के वर्गीकरण की सूची विभाग के वेबसाईट में उपलब्ध है। इसी के आधार पर आवेदक अपना अपाईन्टमेंट बुक करा सकेंगे। यदि किसी दिन सार्वजनिक अवकाश है तो उसके अगले कार्यदिवस पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित पंजीयन हेतु रेड जोन एवं हॉटस्पाट जिले को छोडकर शेष जिलों में ही पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। भारत सरकार द्वारा किसी जिले को रेड जोन घोषित किया जाता है तो ऐसे क्षेत्र में स्थित सभी पंजीयन कार्यालय तत्काल बंद कर दिये जायेंगे।

अतः भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 403/2020&DMI(A), नई दिल्ली, दिनांक 1–मई,2020 का पालन करते हुए एवं भारत शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश तथा छ0ग0 शासन द्वारा कोविड–19 से संक्रमण की रोकथाम हेतु समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 04/05/2020 से राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों (रेड जोन एवं हॉटस्पाट जिला को छोडकर) में पंजीयन कार्य करने की समुचित व्यवस्था करें।

महानिरीक्षक पंजीयन
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक– 719/मनिपं/2020 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक : 3 /05/2020

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, समस्त जिला, छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. समस्त उप पंजीयक, छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. मेसर्स आईटी साल्यूसन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. रीजनल मैनेजर, स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भाटिया नर्सिंग होम के समीप, जीई रोड़, रायपुर (छग) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
छत्तीसगढ़, रायपुर

Scanned with CamScan

छतीसगढ़ शासन पंजीयन विभाग

पंजीयन कार्यालय की सूची-वर्गवार

जिला	स०क्र०	पंजीयन कार्यालय	वर्ग
कबीरधाम	1	कबीरधाम_SR	B
	2	पंडरिया_SR	B
	3	बोड़ला_SR	C
कांकेर	4	कांकेर_SR	B
	5	भानुप्रतापपुर_SR	C
	6	पखांजूर_SR	C
	7	अंतागढ_SR	C
कोंडागांव	8	कोंडागांव_SR	C
	9	केशकाल_SR	C
कोरबा	10	कोरबा_SR	B
	11	कटघोरा_SR	C
	12	पाली_SR	C
	13	हरदीबाजार_SR	C
कोरिया	14	बैकुण्ठपुर_SR	B
	15	मनेन्द्रगढ_SR	C
	16	भरतपुर_SR	C
गरियाबंद	17	राजिम_SR	B
	18	गरियाबंद_SR	B
	19	देवभोग_SR	C
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	20	पेन्ड्रारोड_SR	B
	21	मरवाही_SR	C
जशपुर	22	जशपुर_SR	C
	23	कुनकुरी_SR	C
	24	पत्थलगॉव_SR	C
	25	बगीचा_SR	C
जांजगीर-चांपा	26	जांजगीर_SR	B
	27	नवांगढ_SR	B
	28	चॉपा_SR	B
	29	पामगढ_SR	B
	30	जैजैपुर_SR	B
	31	अकलतरा_SR	B
	32	सक्ती_SR	B
	33	डभरा_SR	C
	34	मालखरौदा_SR	C
दंतेवाड़ा	35	दंतेवाडा_SR	C
दुर्ग	36	दुर्ग_SR2	A
	37	दुर्ग_SR3	A
	38	पाटन_SR	A
	39	दुर्ग_SR1	A
	40	धमधा_SR	B
धमतरी	41	धमतरी_SR	A
	42	कुरुद_SR	B
	43	नगरी_SR	C
नारायणपुर	44	नारायणपुर_SR	C
बेमेतरा	45	बेमेतरा_SR	A
	46	नवांगढ_SR	B
	47	बेरला_SR	B
	48	साजा_SR	B
बलरामपुर	49	रामानुजगंज_SR	C
	50	कुसमी_SR	C
	51	बलरामपुर_SR	C
बलौदा बाजार	52	बलौदा बाजार_SR	A
	53	बिलाईगढ_SR	B
	54	भाटापारा_SR	B
	55	सिमगा_SR	B
	56	पलारी_SR	B
	57	कसडोल_SR	B
बस्तर	58	जगदलपुर_SR	B
बालोद	59	गुण्डरदेही_SR	B
	60	बालोद_SR	B
	61	गरूर_SR	B
	62	डोंडीलोहारा_SR	B
	63	दल्लीराजहरा_SR	C
बिलासपुर	64	बिलासपुर_SR2	A
	65	बिलासपुर_SR1	A
	66	बिलासपुर_SR3	A
	67	मस्तूरी_SR	B
	68	बिल्हा_SR	B
	69	तखतपुर_SR	B
	70	कोटा_SR	C
बीजापुर	71	बीजापुर_SR	C
मुंगेली	72	मुंगेली_SR	B

Average Documents per day : Above 25 – Cat "A", Between 25 and 8 – Cat "B", Below 8- Cat "C"
Category "A" Office will open all working days,
Category "B" Office will open 2 days in a week,
Category "C" Office will open once in a week

Scanned with CamScanner

<u>अनुलग्नक</u>

वर्तमान में रेड जोन एवं हॉटस्पॉट क्षेत्र में आने रहे उप पंजीयक कार्यालय जहां दस्तावेजों का पंजीयन स्थगित रहेगा

निम्नलिखित उप पंजीयक कार्यालय भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित रेड जोन अथवा हॉट स्पाट के क्षेत्र में होने के कारण दस्तावेजों का पंजीयन कार्य स्थगित रहेगा।

1) जिला– रायपुर

1) उप पंजीयक कार्यालय रायपुर–1
2) उप पंजीयक कार्यालय रायपुर–2
3) उप पंजीयक कार्याल रायपुर–3
4) उप पंजीयक कार्यालय रायपरु–4

2) जिला–कोरबा

1) उप पंजीयक कार्यालय कोरबा
2) उप पंजीयक कार्यालय, कटघोरा

4) जिला–सूरजपुर

1) उप पंजीयक कार्यालय– सूरजपुर

महानिरीक्षक पंजीयन
छत्तीसगढ़, रायपुर
3/5/2020

——

Scanned with CamScanner